न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 38/2018

अनवान :

1. दलबीरसिंह
2. शंकरसिंह

} पुत्रान हनुमानसिंह जाति जाट निवासी जिगासरीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– वादीगण

बनाम

1. हनुमानसिंह पुत्र रतूराम जाति जाट निवासी जिगासरीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. मोहनलाल
3. श्रवण कुमार

   } पुत्रान हनुमानसिंह जाति जाट निवासी जिगासरी बड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

4. कमला पुत्री हनुमानसिंह पत्नी दारासिंह जाति जाट निवासी हाल बकरियावाली तहसील व जिला सिरसा।
5. सुमित्रा पुत्री हनुमानसिंह पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
6. सुनीता पुत्री हनुमानसिंह पत्नी निहालसिंह जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
7. चन्दूराम पुत्र मगनीराम जाति जाट निवासी जिगासरीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा भादरा (समेकित भारतीय स्टेट बैंक, शाखा भादरा) जरिये शाखा प्रबन्धक।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधिनियम1955

उपस्थिति : वकील श्री किशनलाल यादव : **वादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 31.7.18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि गांव जिगासरीबड़ी के खाता सं0 28/27 खसरा सं0 1 की 3.604 है0 खसरा सं0 13 की 5.298 है0 खसरासं0 52 की 6.500 है0 खसरा सं0 4.3500 है0 खसरा सं0 92 की 1.6690 है0 खसरा सं0 115 की 8.891 है0 कुल 30.312 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि जिसमें हनुमानसिंह पुत्र रतिराम का 2265 हिस्सा तथा चन्दूराम पुत्र मगनीराम का 132 हिस्सा खातेदारी दर्ज है जो कि पहले वादी के परदादा बीरूराम के नाम खातेदारी थी। बीरूराम के फौत होने पर उक्त भूमि विरासतन वादीगण के दादा रतूराम को वाद भूमि प्राप्त हो गई तथा राजस्व रिकार्ड में भी खाता सं0 82/77 जमाबन्दी सम्वत् 2052 से 55 में उनके नाम दर्ज हो गई। बाद में उक्त भूमि विरासतन परिवार का कर्ता होने के कारण वादीगण के पिता हनुमानसिंह प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदारी दर्ज हुई है। इस प्रकार वाद भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 2 ता 6 का हनुमानसिंह के नाम दर्ज 2265 हिस्सा भूमि में जन्म से हक व अधिकार है। कानूनन हनुमानसिंह के नाम दर्ज 2265 हिस्सा भूमि के अकेले हनुमानसिंह की बजाय दोनों वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 2 ता 6 तथा प्रतिवादी सं0

1 आठों बहिस्सा बराबर यानि वादीगण प्रत्येक 1/8–1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 1 का भी 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2 ता 6 प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 ने इकबालदावा पेश किया। प्रतिवादीगण सं0 2 ता 8 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 दलबीरसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम जिगासरीबड़ी खाता सं0 28/27 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 1, फोटो प्रति प्रमाणित जंमाबन्दी खतौनी ग्राम जिगासरीबड़ी सम्वत् 2052 से 55 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम जिगासरीबड़ी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादीगण ने दावा की पुष्टि में जो फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम जिगासरीबड़ी सम्वत् 2052 से 55 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाई में उसमें वाद कृषि भूमि वादीगण के दादा रतूराम वल्द बीरूराम के नाम 2265 हिस्सा दर्ज है जिससे वाद कृषि भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 हनुमानसिंह के वारिसान में पत्नी जैतादेवी फौत होना, चार पुत्र दलवीरसिंह, शंकरसिंह, मोहनलाल, श्रवणकुमार व तीन पुत्रियां कमला, सुमित्रा, सुनिता मौजूद होना व इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादीगण साबित है।

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि गांव जिगासरीबड़ी के खाता सं0 28/27 खसरा सं0 1 की 3.604 है0 खसरा सं0 13 की 5.298 है0 खसरासं0 52 की 6.500 है0 खसरा सं0 4.3500 है0 खसरा सं0 92 की 1.6690 है0 खसरा सं0 115 की 8.891 है0 कुल 30.312 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि जिसमें हनुमानसिंह पुत्र रतिराम का 2265 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है में हनुमानसिंह अकेले के बजाय वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 आठों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा भादरा (समेकित भारतीय स्टेट बैंक, शाखा भादरा) के रहन है, इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.7.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 38/2018

अनवान :

1. दलबीरसिंह
2. शंकरसिंह

} पुत्रान हनुमानसिंह जाति जाट निवासी जिगासरीबड़ी तहसीलं भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– वादीगण

बनाम

1. हनुमानसिंह पुत्र रतूराम जाति जाट निवासी जिगासरीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. मोहनलाल
3. श्रवण कुमार

   } पुत्रान हनुमानसिंह जाति जाट निवासी जिगासरी बड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

4. कमला पुत्री हनुमानसिंह पत्नी दारासिंह जाति जाट निवासी हाल बकरियावाली तहसील व जिला सिरसा।
5. सुमित्रा पुत्री हनुमानसिंह पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
6. सुनीता पुत्री हनुमानसिंह पत्नी निहालसिंह जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
7. चन्दूराम पुत्र मगनीराम जाति जाट निवासी जिगासरीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा भादरा (समेकित भारतीय स्टेट बैंक, शाखा भादरा) जरिये शाखा प्रबन्धक।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री किशनलाल यादव की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि गांव जिगासरीबड़ी के खाता सं0 28/27 खसरा सं0 1 की 3.604 है0 खसरा सं0 13 की 5.298 है0 खसरासं0 52 की 6.500 है0 खसरा सं0 4.3500 है0 खसरा सं0 92 की 1.6690 है0 खसरा सं0 115 की 8.891 है0 कुल 30.312 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि जिसमें हनुमानसिंह पुत्र रतिराम का 2265 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है में हनुमानसिंह अकेले के बजाय वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 आठों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा भादरा (समेकित भारतीय स्टेट बैंक, शाखा भादरा) के रहन है, इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 31.7.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़))

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़